तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2018 225	
03.01.18	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यत: निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर उसमे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर विवादग्रस्त भूमि की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति की इस्तदुआ की गई थी एवं प्रतिवादी/रेस्पो.-2 से 6,7 व 17 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब एवं काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया था एवं चूंकी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण तकासमे से सम्बन्धित है जिसमे विधि अनुरूप विभाजन होने से पूर्व यदी पक्षकारान् द्वारा किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान कर दिया जाता है तो प्रकरण मे अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होगे एवं विवादो की बहुलता होगी। ऐसी स्थिति मे बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित करने के बजाय शेष पक्षकारो के जवाब हेतु इन्तजार के आदेश प्रदान किये गये। जिससे अपीलार्थी के हितो की अनदेखी हो रही है। अत: विवादग्रस्त भूमि की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश फरमाये जावे। हमने बहस अभिभाषक अपीलार्थी पर गौर किया एवं पत्रावली का	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

धीतर | धीतर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2018	अवलोकन किया। प्रकरण मूलतः तकासमे से सम्बन्धित है। जिसमे पक्षकारान के मध्य विधि अनुरूप विभाजन जब तक नही हो जाता तब तक विवादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित रखने हेतु यथास्थिति प्रथमदृष्टया बनाये रखा जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण की इस स्टेज पर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्को से सन्तुष्ट होकर अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तिम निस्तारण तक उभयपक्षो को विवादग्रस्त भूमि की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करते हुये प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान कर शीघ्रता से गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। पत्रावली मे अब कोई कार्यवाही शेष नही रहने से पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर